खादी और कुटीर उद्योगों का विकास

1525. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या-क्या नयी योजनायें हैं ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए किस रूप में सहायता दी जा रही है और किन-किन योजनाओं के लिए ऐसी वित्तीय सहायता दी जानी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान, के०वी०आई०सी० द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग की विभिन्न मौजूदा योजनायें कार्यान्वित की जाएंगी। खादी के अतिरिक्त, के०वी०आई०सी० के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों/योजनाओं को सात बड़े समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है । विकासार्थ प्रस्तावित नयी योजनायें निम्नलिखित हैं :—

1. अनाज तथा दाल प्रसंस्करण उद्योग

(क) छोटी चावल मिल

(ख) दलिया बनाना

(ग) पशु चारा/मुर्गा चारा

2. चमड़ा उद्योग

(क) जिला कच्चा माल बैंक

(ख) पुनः चर्म शोधन तथा परिसंस्करण (वेट ब्लू फ्रस्ट के बाद)

3. फल तथा वनस्पति प्रसंस्करण तथा संरक्षण

(क) दुग्ध आधारित उत्पाद

4. फाइबर सेक्टर को छोड़कर

(क) सीसी फाइबर उत्पादन एकक

(ख) यान उत्पादन एकक

(ग) फाइबर फैन्सी आर्टिकल यूनिट

(घ) कोरा ग्रास मैट वीविंग यूनिट

(ङ) केला रेशा उत्पादन यूनिट

(च) बटारा उत्पादन यूनिट

(छ) रस्सी निर्माण एकक

(ज) टाट पट्टी बुनकर परिवार एकक

5. अखाद्य तेल तथा साबुन उद्योग

(क) अनिवार्य तेल/इत्र एकक

(ख) जवायु पाउडर एकक

6. ग्राम्य तेल

(क) 6 पावर घानी वाला एक "4" बोल्ट एक्सपेलर यूनिट

7. रबड़ आधारित उद्योग

(क) हवाई चप्पल

खादी तथा ग्राम उद्योगों के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के०वी० आई०सी० द्वारा बनाए गए वित्तीय सहायता पैटर्न के अनुसार दी जाती है । के०वी०आई० सी० ने पहाड़ी, सीमावर्ती, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग के क्षेत्रों के लिए उदार सहायता पैटर्न भी बनाया है । के०वी०आई०सी० ने उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धन का वितरण निम्न प्रकार से किया है :—

(रुपए लाख में)

	खादी	
	अनुदान	ऋण
1989–90	1477.65	295.30
1990–91	1472.88	472.09
1991–92	1731.88	417.90

	ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण
1989-90	66.78	1106.46
1990–91	154.93	1491.76
1991–92	47.92	1611.52